राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग, जयपुर

आजादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः–एफ–13/5/2/वी.एस./डीईएस/2015/463 दिनांकः- 28-4-2022

परिपत्र–2

विषयः– मृतक के परिजन को मृत्यु का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र (MCCD) उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

जन्म –मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 10(3) एवं राजस्थान जन्म ओर मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के नियम 7 के प्रावधान के अनुसार व्यक्ति की अन्तिम बीमारी के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा संस्थानो में मृत्यु होने पर प्रारूप संख्या 4 तथा गैर संस्थागत मृत्यु की स्थिति मे रजिस्टर्ड चिकित्सक (Registered Medical Practitioner) द्वारा प्रारूप संख्या 4A मे जारी किये जाकर मृत्यु पंजिका में आवश्यक प्रविष्टियों की पूर्ति हेतु सम्बन्धित रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को भिजवाये जाते है।

भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के परिपत्र दिनांक 03.09.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसरण मे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश दिनांक 23.09.2021 एवं इस निदेशालय के पत्रांक 1056 दिनांक 21.10.2021 में दिये गये निर्देशो के क्रम में जिस राजकीय चिकित्सालय/सीएचसी/पीएचसी में व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उस संस्थान में नियुक्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ, मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र मृतक के परिजन की मांग किये जाने पर प्रपत्र–4 में और गैर संस्थागत मृत्यु में रजिस्ट्रार के पास प्रपत्र–4A उपलब्ध होने की स्थिति में रजिस्ट्रार द्वारा मृतक के परिजन की मांग करने पर मृत्यु के चिकित्सकीय प्रमाण पत्र (MCCD) ऑफलाईन उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आमजन की सुविधा हेतु पहचान पोर्टल के माध्यम से मृत्यु प्रमाण–पत्र के साथ ही मृत्यु के चिकित्सकीय प्रमाण पत्र (MCCD) प्रपत्र–4 एवं 4A जारी करना सुनिश्चित करावे जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है :–

संस्थागतः–संस्थागत मृत्यु की घटनाओं के लिए रजिस्ट्रार एवं उपरजिस्ट्रार व चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रपत्र–4 जारी किया जाएगा, जहां मृत्यु की घटना के पंजीकरण के समय प्रपत्र–2 के भरते समय ही एमसीसीडी कोड दर्ज किया जाता है। आवेदक द्वारा एमसीसीडी प्रपत्र–4 की मांग करने पर उपरजिस्ट्रार अपने पहचान के लॉगिन से मृत्यु पंजीकरण संख्या व वर्ष से खोजकर प्रपत्र–4 (पूर्व में एमसीसीडी कोड दर्ज होने की स्थिति में) जारी करेंगे। आगामी सभी मृत्यु के चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के लिए उपरजिस्ट्रार मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही एमसीसीडी प्रपत्र–4 भी ऑनलाईन जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

गैर संस्थागतः– गैर संस्थागत मृत्यु की घटनाओं के लिए चिकित्सा अधिकारी/रजिस्टर्ड चिकित्सक (Registered Medical Practitioner) द्वारा जारी प्रपत्र–4A यदि रजिस्ट्रार को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया है तो रजिस्ट्रार पहचान पोर्टल पर मृत्यु की घटना का प्रपत्र–2 में इन्द्राज करते समय ही मृत्यु का एमसीसीडी कोड भी दर्ज करके मृत्यु के प्रमाण पत्र के साथ–साथ रजिस्ट्रार एमसीसीडी प्रपत्र–4A जारी करेंगे। यदि प्रपत्र–4A मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात मृतक के परिजन द्वारा रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराया जाता है तो रजिस्ट्रार पहचान के लॉगिन से मृत्यु पंजीकरण संख्या व वर्ष से खोजकर मृत्यु का एमसीसीडी कोड दर्ज करके प्रपत्र–4A जारी करेंगे।

उक्त परिपत्र सक्षम स्तर से अनुमोदित है, जिसकी पालना सुनिश्चित करावे।

(डॉ. ओमप्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ–13/5/2/वी.एस./डीईएस/2015/463 दिनांकः- 28-4-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6–बी झालाना डूंगरी, जयपुर।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलक्टर समस्त।
8. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम, जिला समस्त।
9. वरिष्ट तकनीकी निदेशक NIC योजना भवन को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार पहचान पोर्टल के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ, मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र दिए जाने के सम्बन्ध में पहचान पोर्टल पर विकल्प प्रदान कर आवश्यक व्यवस्था करावे।
10. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
11. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी पंचायत समिति समस्त।

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)